193/06 प्रकरण

गोपाल | जगदीश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.5.15	उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकार्य से बाहर है / अवकाश पर है / पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29.10.15 को पेश हो। रीडर सहायक कलक्टर माण्डल	
29/10/15	उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकार्य से बाहर है / अवकाश पर है / पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 25-2-16 को पेश हो। रीडर सहायक कलक्टर माण्डल	
25/2/16	उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकार्य से बाहर है / अवकाश पर है / पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 21-4-16 को पेश हो। रीडर सहायक कलक्टर माण्डल	
21-4-16	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उपस्थित। वकील विपक्षीगण क्र. 1 व 2 की ओर से जवाब एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। शीघ्र जवाब से प्रार्थना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते हो। बहस हेतु पत्रावली दिनांक 22-9-16 को पेश हो।	
9.5.16	पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प लुहारिया पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के सम्मन पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के सम्मन प्राप्त नहीं हुये। प्रार्थी बाद तामील / अदम तामील प्राप्त नहीं हुये। प्रार्थी सं. 1 गोपाल लाल उर्फ नाथा लाल कोठारी उपस्थित। विपक्षीगण उप. अन्य प्रार्थीगण उपस्थित नहीं। विपक्षीगण उप. नहीं है।	गोपाल लाल कोठारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म ...
	प्रार्थीगण सं०1 ने उपस्थित होकर बहस करनी चाही। प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थीगण सं०1 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो, दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दरख्वास्त की। जबकि विपक्षीगण सं०1 से 3 द्वारा पूर्व मे जवाब प्रस्तुत नही किये जाने केवल मौखिक तौर के आधार पर प्रार्थना-पत्र को खारिज किये जाने की दरख्वास्त की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजी जियाल ग्राम जहांगीरपुर तहसील मांडल जिला- भीलवाड़ा मे स्थित होकर जगदीश पिता मूलचन्द्र मदन लाल महाजन सा० देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी। जिसकी तस्दीक प्रस्तुत जमाबन्दी की नकल सं: 2034 से 37 ~~से होती~~ है व 38-41, 42-45 46-49, 50-53 से होती है। प्रस्तुत दस्तावेजो व प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के अनुसार विवादित आराजियात पुश्तैनी है ~~जिसमे~~ जिसमे प्रार्थीगण व विपक्षीगण का हक व अधिकार है, विपक्षी सं० 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र के खंडन मे प्रस्तुत जवाब ~~मे~~ ~~आधार~~ यह स्वीकार किया कि बंशी लाल मदनलाल पि. रामनारायण के नाम पर 4-11 बीघा भूमि व आरा० नं० 922 रकबा 3-12 बीघा भूमि अकेले मदन लाल जी के खाते दारी अधिकार की थी, मदन लाल जी की कोई औलाद नही हुई। बल्कि उसने जगदीश चन्द्र को गोद लिया ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष ~~मे~~	

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, [redacted]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

होता है क्योंकि प्रार्थीगण के पिता बंशीलाल व विपक्षी सं० 2 व उनके वारीसान एक ही परिवार से संबंधित है इस कारण जब तक विवादित आराजियात का विभाजन नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक इंच भूमि पर प्रार्थीगण व विपक्षी का अधिकार ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण का विवादित आराजियात मे हक व हिस्सा होते हुए भी प्रार्थीगण का नाम दर्ज नही होने से तथा विपक्षीगण के नाम दर्ज होने से बेचान करने, स्थानान्तरण करने व बेदखल करने पर आमादा हो रहे है, इस कारण प्रार्थीगण के अधिकारों की सुरक्षा हेतु विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझता हूँ।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम लहारिया तह० मांडल मे स्थित हाल आ०नं० 1748, 2626, 2627, 2628, 2631, 2633, 3179/2629 कुल किता 7 रकबा 4-11 बीघा भूमि के राजस्व रेकार्ड ~~[illegible]~~ व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने बाबत विपक्षीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई - निषेधाज्ञा जारी की जाती है पत्रावली फैसल शुमार की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, [redacted]